तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
12.9.25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री वैभवकृष्ण पारिक, अभिभाषक प्रार्थी, अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, **–आदेश–** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के आदेश दिनांक 30–11–2005 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने एक वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 14.09.2005 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 30–11–2005 द्वारा प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नॉन स्पीकिग आदेश पारित किया है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार व काश्तकार अंकित है तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है वह अवैधानिक है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इसलिए प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अन्त में उन्होनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया।	

4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ आलोच्य आदेश का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया ।

5 पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने एक वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अपने निर्णय दिनांक 14.09.2005 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 30–11–2005 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर शेष रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर आगाम पेशी दिनांक नियत की है। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हुआ है, इसलिए प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर अधिकारों के प्रतिरक्षण के समुचित अवसर मौजूद है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में मूल अपील, अपीलीय न्यायालय में लम्बित है अतः अंतरिम आदेश दिनांक 30–11–2005 निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसलिये अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. परिणामतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायहित में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन अपील पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर लम्बित अपील का यथासंभव तीन माह में विधिसम्मत निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें ***तब तक मण्डल का आदेश दिनांक 19.12.2006 प्रभावी रहेगा।*** पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख मय आदेश प्रति अतिशीघ्र लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)

सदस्य